कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ0ग0)
// सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

क्र. 67/दो–12–17/2013 बलौदाबाजार दिनांक 18/02/2014

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	दिनांक 31/03/2014 संध्या 05:00 बजे तक

जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण :–

क्र	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	पदों के आरक्षण का विवरण															
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.	मु.	म.	वि.	भू.पू.सै.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	स्टेनाग्राफर	02	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	सहायक ग्रेड–तीन	25	05	03	01	01	–	–	–	–	02	01	01	–	05	03	02	01

संकेतक – मु.–मुक्त, म–महिला, वि.–विकलांग, भू.पू.सै.–भूतपूर्व सैनिक

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिये– (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन – 2800/–)

(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ब) छत्तीसगढ/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(स) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(2) सहायक ग्रेड–तीन के लिये– (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन – 1900/–)

(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ब) छत्तीसगढ/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(स) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

महत्वपूर्ण टीपः– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जायेगी।

आयुसीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तेः—

(1) रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है)

(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसनें विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगें, जिन्होने दिनांक 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गयी हो परन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली गयी हो।

(3) छत्तीसगढ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(4) छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये कैलेण्डर वर्ष 2014 की समाप्ति के पूर्व केवल एक बार के लिये अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट निर्धारित है (छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन कमांक एफ—3—2/2002/1—3 दिनॉक 20.12.2013 एवं परिपत्र दिनॉक 27.09.2013)। विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगीं, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट—

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः—

(एक)(1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(एक)(2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछडा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एक—7—25—93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(एक)(3) छत्तीसगढ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(एक)(4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः— छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(एक)(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिऐ अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(एक)(6) महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(एक)(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1—2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होगें।

(एक)(8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(एक)(9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(दो)(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अधिकतम छूट रहेगी।

3(दो)(2) आदिम जाति हरिजन एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3(दो)(3) विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चन्द्र भंज देव सम्मान, राष्टीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–19–2/2005/1–3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीपः– (1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्परूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति /जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी,। ग्रीन कार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। यदि अनुसूचित जातिर, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हो, तो उन्हे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आयुसीमा में पॉच वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारको के लिये दो वर्ष की और अधिकतम आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरूस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1 — आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनॉक 31/03/2014 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर (हिन्दी)/ सहायक ग्रेड–3 के पदो पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ0ग0) के कार्यालय में 31/03/2014 की संध्या 5.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें। आवेदन पत्र डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियॉ एवं पांच–पांच रूपये का डाक टिकिट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।

2 — कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदो के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हो तो प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3 — जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे।

4 — ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हे अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

5 — आवेदन पत्र के साथ अलग से एक बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

6 — डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

चयन प्रकिया

1 — उपरोक्त रिक्त पदो पर चयन हेतु कौशल परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान एवं मुद्रलेखन दक्षता की जॉच की जायेगी। स्टेनोग्राफर के उम्मीदवारो के लिये शीघ्रलेखन दक्षता जॉच के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी। प्राप्तांको के आधार पर श्रेणी/वर्गवार प्राविण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदो पर प्राविण्य सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी। प्रथमतः रिक्त पदों पर नियुक्ति दो वर्ष की परवीक्षा अवधि पर होगी। परवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिये बढाई जा सकेगी।

2 — समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आाधार पर वरियता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी, उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

3 — चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के सबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार को होगा।

4 — चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रो की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5 — चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

6 — आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारो के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग.रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग.रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा।

7 — चयनित उम्मीदवारो के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

8 — चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9— महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।

10— यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वे विज्ञापन में दिये गये निदेर्शो तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो, उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार द्वारा स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु आयोजित कौशल परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदो हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिये आयोजित कौशल परीक्षा में शामिल होना होगा। स्टेनोग्राफर के पद का अभ्यर्थी यदि सहायक ग्रेड–3 के पद के लिये भी आवेदक हो तो स्टेनोग्राफर के लिये आयोजित शीघ्रलेखन कौशल परीक्षा के अंको को सहायक ग्रेड–3 की प्राविण्यता तय करने के समय कम्प्यूटर कौशल परीक्षा एवं मुद्रलेखन कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के साथ जोड़ा नही जावेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु श्रेणी/वर्गवार एवं एकजाई मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निम्नानुसार पूर्णांक रहेगें :–

स्टेनोग्राफर के पद हेतु :–

01.	शीघ्रलेखन डिक्टेशन	50 अंक
02.	कम्प्यूटर	45 अंक
03.	साक्षात्कार	05 अंक

सहायक ग्रेड–3 के लिये :–

01.	कम्प्यूटर	45 अंक
02.	साक्षात्कार	05 अंक

यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रायोगिक कौशल परीक्षा में तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर योग्य उम्मीदवारो की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से एकजाई प्राविण्य सूची तैयार की जावेगी तथा प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जावेगी। परंतु ऐसे उम्मीदवारों को चयन का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता का अधिकारी का ऐसी जॉच के बाद, जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि, उम्मीदवार सेवा में सभी प्रकार से योग्य हो।

अन्य आवश्यक सूचनाऐं

जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगें, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी। उपयुक्त पाये गये तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक–पृथक सूची जिला न्यायालय बलौदाबाजार के सूचना पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किये गये आवेदन पत्रो पर दावा आपत्ति तीन दिवस के भीतर चयन समिति के समक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

योग्य पाये गये उम्मीदवारो को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किंतु समय पर उनको प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियो को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हे किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

अध्यक्ष,
चयन समिति
बलौदाबाजार (छ.ग.)